विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 23 दिसम्बर 2021

वर्तमान भूमि परियोजना नक्शे के अंतिम प्रकाशन की सूचना

क्रमांक 9941.—इन्दौर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये अतिरिक्त 79 ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 01 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किये गये हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15(3) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र का तद्नुसार सम्यक्रूप से दिनांक 31 दिसम्बर 2021 को अंगीकृत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में इस सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि, उक्त मानचित्र सम्यक्रूप से तैयार कर लिया गया है.

अब, उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए अंगीकृत मानचित्र की प्रति दिनांक 31 दिसम्बर 2021 से 7 जनवरी 2022 तक कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगीः—

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इंदौर
2. कलेक्टर, जिला इन्दौर
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका सांवेर
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, देपालपुर
7. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, हातोद
8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, राऊ
9. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर.

एस. के. मुदगल, संयुक्त संचालक.